राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 649 / 2025

अमित कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेष सहायक, मंत्री, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
4. उप सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्रीय) पशुपालन विभाग, चूरू।
6. अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्रीय) पशुपालन विभाग, हनुमानगढ़।
7.

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.04.2025
आदेश की दिनांक : 22.04.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री रतन अंकिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर उपकेन्द्र भीमसाना (Bheemsana) जिला चूरू में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2014 में आदेश दिनांक 04.02.2020 (अनुलग्नक–1) द्वारा पशुधन सहायक के पद पर उपकेन्द्र जोधपुर में हुई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.06.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा उसका स्थानांतरण उपकेन्द्र Dabdi ओसियां जोधपुर से उपकेन्द्र भीमसाना (Bheemsana) सादुलशहर जिला चूरू में किया गया। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानातरण उपकेन्द्र भीमसाना (Bheemsana) जिला चूरू से उपकेन्द्र वादरवास (Vaderwas) सुमेरपुर, जिला पाली में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि आलोच्य स्थानान्तरण आदेश (अनुलग्नक–3) राजस्थान

पंचायतीराज अधिनियम की धारा 89 (8)(II) के उल्लंघन में जारी किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 89(8A) की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

3. अपीलार्थी का आगे कथन है कि अपीलार्थी के सास व श्वसुर अक्सर बीमार रहते है तथा अपीलार्थी की सास हृदय रोग से पीडित है जिनका ईलाज निरन्तर चल रहा है तथा अपीलार्थी के श्वसुर का ईलाज भी निरन्तर चल रहा है। अपीलार्थी के अतिरिक्त उनकी सेवा–सुश्रुषा करने वाला अन्य कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी का जिला चूरू से जिला पाली में 600 किलोमीटर दूर स्थानान्तरण होने से अपीलार्थी को अपने बीमार सास–श्वसुर की देखभाल करने में काफी परेशानी हो रही है। इस संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 20.02.2025 (अनुलग्नक–4) को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–3) को निरस्त किया जाकर यथावत पदस्थापित रखे जाने का निवेदन किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–3) को अपास्त कर अपीलार्थी को यथावत रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया हुआ है जिसे शीघ्र निस्तारण हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे।

6. प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी द्वारा विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 20.02.2025 (अनुलग्नक–4) पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

NDG/-